



कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहपुर



प्रेस- नोट, जनपद फतेहपुर

दिनांक 25.10.2026

थाना ललौली पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल हर्ष फायरिंग के वीडियो का त्वरित संज्ञान लेते हुए, फायरिंग करने वाले अभियुक्त को अवैध तमंचा व कारतूस सहित किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहपुर श्री अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक फतेहपुर के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी जाफरगंज के कुशल नेतृत्व में, जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण तथा अवैध शस्त्रों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना ललौली पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त को अवैध शस्त्र व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है।

संक्षिप्त विवरण:

थाना ललौली पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल हर्ष फायरिंग के वीडियो का त्वरित संज्ञान लेते हुए दिनांक 24.10.2026 को पुलिस टीम द्वारा वाहिदपुर चौराहे के आगे स्थित 999 ईंट भट्टा, ग्राम वाहिदपुर के पास से 01 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 32 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर बरामद किया गया है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 299/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त को आज दिनांक 25.10.2026 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु रवाना किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:

1. मंगल पटेल पुत्र मनोज उर्फ पूरन सिंह, निवासी ग्राम हरिरामपुर, थाना ललौली, जनपद फतेहपुर (उम्र करीब 30 वर्ष)।

बरामदगी:

1. 01 अदद अवैध तमंचा 32 बोर
2. 01 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर

आपराधिक इतिहास:

1. मु0अ0सं0 32/2016 धारा 308/504/506 भादवि, थाना ललौली, जनपद फतेहपुर।
2. निवारक का0 सं0 144/2016 धारा 110 जी सीआरपीसी, थाना ललौली, जनपद फतेहपुर।
3. मु0अ0सं0 168/2023 धारा 427/504/506 भादवि, थाना ललौली, जनपद फतेहपुर।
4. मु0अ0सं0 97/2024 धारा 452/323 भादवि, थाना ललौली, जनपद फतेहपुर।
5. निवारक का0 सं0 02/2025 धारा 2/3 गुण्डा अधिनियम, थाना ललौली, जनपद फतेहपुर।
6. मु0अ0सं0 299/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना ललौली, जनपद फतेहपुर।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:

1. उ0नि0 सुमित तिवारी, चौकी प्रभारी बहुआ, थाना ललौली, जनपद फतेहपुर।
2. आरक्षी नितिन यादव
3. आरक्षी विकास यादव

सोशल मीडिया सेल

जनपद फतेहपुर